

अतः पत्रावली का उधार दिनांक 27-6-24 को पेश हो।

27/6/24

पत्रावली केा हुई। फकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, कोरेपे है।

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17-10-24 को पेश हो।

17/10/24

पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी अनुपस्थित। वादी भी अनुपस्थित। तीन बार क्लक-क्लक कर आवाज लगायी, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत 09 R B CPC अधिनियम वृजरी अधिनियम परवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकनील काखिल दफलर हो।

Yusuf
17/10/24

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

